भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1914**
**11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न**

**खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए भंडारण और वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण**

**1914. श्री वी. वैथिलिंगम:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह देखते हुए कि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से भारत को सालाना लगभग 1.5 ट्रिलियन का नुकसान होता है और यह धान और गेहूं जैसी मुख्य फसलों के साथ-साथ नाशवान खाद्य पदार्थों को भी प्रभावित करता है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए भंडारण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो आधुनिक भंडारण, नमीरोधी साइलो, शीतागार शृंखला विस्तार, खाद्य बैंकों और सामुदायिक रसोई में अधिशेष खाद्य पदार्थों के पुनर्वितरण और घरेलू स्तर पर सुविचारित उपभोग को बढ़ावा देने और बर्बादी को कम करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता अभियानों के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का कुशल वितरण सुनिश्चित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को मजबूत करने और खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सुधार के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पुडुचेरी सहित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समन्वय का विस्तार करने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख): सरकार ने भोजन की हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए भंडारण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-**

**पीईजी योजना** - पीईजी योजना के तहत, निजी निवेश को आकर्षित करके 24 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण किया गया है। पीईजी योजना 2008 में शुरू की गई थी। दिनांक 31.12.2025 तक 148.61 लाख टन की क्षमता पूर्ण हो चुकी है।

**पीईजी योजना II** - गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में कवर क्षमता बनाने के लिए, पंजाब और हरियाणा में खुले भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए नई क्षमता स्वीकृत की गई थी, अर्थात इस योजना के तहत पंजाब में 60 लाख टन और हरियाणा में 30 लाख टन की संकल्पना की गई है।

...2/-

**केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस)** - यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर और झारखंड में लागू की गई है। सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए एफसीआई और राज्य सरकारों को भी सीधे धन राशि जारी कर दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, एफसीआई द्वारा पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में 1,17,680 टन और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में 20,000 टन क्षमता पूर्ण की गई है। राज्य सरकारों द्वारा 46,495 टन की भंडारण क्षमता भी तैयार की गई है। इस योजना को 01.04.2017 से 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया था। इस अवधि में 123970 टन की क्षमता पूरी हो चुकी है। यह योजना दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो गई है।

**परिसंपत्ति का मुद्रीकरण** - परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत, एफसीआई की रिक्त भूमि पर गोदामों का निर्माण किया जाता है। 17.47 लाख टन भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 177 स्थानों की पहचान की गई थी।

उपरोक्त के अलावा, सरकार बुनियादी अवसंरचना के साथ-साथ परिचालन में प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु गोदामों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है: -

**पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण:** स्टील साइलो का निर्माण पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड के तहत किया गया है, जिसके कारण इस अवसंरचना के अंतर्गत जोखिम साझा करने और निजी निवेश के कारण लागत में काफी कमी आई है। कुछ मामलों में, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने में निजी पार्टियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं, दैवीय आपदाओं और रेलवे साइडिंग साइलो के मामले में रेलवे से अनुमोदन के कारण साइलो के पूरा होने में देरी होती है। ऐसे कारकों से व्यवस्थित लागत वृद्धि या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण कार्यान्वयन में विलंब हुआ है।

56 स्थानों पर 31.75 लाख टन क्षमता वाले साइलो का काम पूर्ण हो चुका है।

**स्मार्ट वेयरहाउस** सरकारी गोदामों में खाद्य अनाज की हानि को रोकने के लिए आईओटी तकनीक का उपयोग करते हैं। निगरानी मापदंडों में तापमान, आर्द्रता, गैस स्तर, वायु प्रवाह और अनधिकृत पहुंच, कृंतक और कीट गतिविधि जैसी क्रियाएं शामिल हैं। इस प्रायोगिक परियोजना को एफसीआई गोदामों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है।

एफसीआई में भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के तहत **डिपो दर्पण पोर्टल** भी शुरू किया गया है। यह पोर्टल एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के खाद्यान्न डिपो के स्व-मूल्यांकन, रेटिंग और ग्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।

**आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना:** निरंतर निगरानी के लिए सभी एफसीआई और सीडब्ल्यूसी गोदामों में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों के संबंध में, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि जिससे भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1.5 ट्रिलियन का नुकसान होता है, डीएमआई (विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय) के एएमआई (कृषि विपणन अवसंरचना) प्रभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, भंडारण अवसंरचना

सहित कृषि विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1 अप्रैल, 2001 से वैज्ञानिक भंडारण क्षमता निर्माण हेतु पूंजी सब्सिडी योजना और ग्रामीण गोदाम योजना (आरजीएस) तथा भंडारण के अलावा अन्य कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण हेतु 20 अक्टूबर, 2004 से कृषि विपणन अवसंरचना ग्रेडिंग एवं मानकीकरण (एएमआईजीएस) योजना लागू कर रहा है। 1 अप्रैल, 2014 से इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" में समाहित कर लिया गया है और डीएमआई के संबद्ध कार्यालय के माध्यम से पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है।

एएमआई के तहत, दिनांक 31.12.2025 तक 982.94 लाख टन भंडारण क्षमता वाले कुल 49,796 गोदामों का निर्माण किया गया है, जिसके लिए 4832.61 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने और विकेन्द्रीकृत वैज्ञानिक अनाज भंडारण अवसंरचना के निर्माण के लिए, सरकार ने 31 मई, 2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की योजना को अनुमोदित कर दिया है, जिसे एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना (पीएमएफएम) आदि के समन्वय के माध्यम से पीएसीएस/अन्य सहकारी समितियों के स्तर पर गोदाम, सीमा शुल्क किराया केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है।

**(ग):** भंडारण को मजबूत करने और वितरण प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय के समन्वय से "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" के तहत मौजूदा पीईजी योजनाओं की तर्ज पर पीएसीएस गोदामों को किराये की गारंटी प्रदान कर रहा है, क्योंकि इस योजना को प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है।

इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना (पीएमएफएम) आदि के समन्वय के माध्यम से पीएसीएस/अन्य सहकारी समितियों के स्तर पर गोदाम, सीमा शुल्क किराया केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित दर दुकानें आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है।

इस प्रायोगिक परियोजना के तहत, 11 राज्यों के 11 पीएसीएस में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

*****